सी. सम्पत कुमार

बनाम

प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास

16 सितंबर, 1997

[डॉ. ए. एस. आनंद और के. वेंकटस्वामी, जे.जे.]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973:

धारा 40 - धारा के तहत सम्मन जारी किया गया - उस व्यक्ति के बयान दर्ज किये गए, जिसे समन जारी किया गया है - उसके द्वारा दायर रिट याचिका में समन जारी करने को चुनौती दी गई है और यह तर्क दिया गया है कि उसे लिखित में अपना बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है - उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज की गई - अभिनिर्धारित किया, एक व्यक्ति जिसे धारा 40 के तहत समन जारी किया गया है, उसे लिखित में अपना बयान देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा सकता है और ऐसा पाठ्यक्रम सांविधिक या संविधान द्वारा निषिद्ध नहीं है - ऐसे व्यक्ति को चेतावनी देना कि सच्चा बयान नहीं देना एक अपराध होगा, इसे बयान निकालने के लिए "दबाव" के उपयोग के रूप में नहीं माना जा सकता है - इस तरह की चेतावनी को धारा 40 (3) का ही वैधानिक समर्थन प्राप्त है और धारा 40(4) के तहत के प्रावधानों के मद्देनजर यह प्रभाव उस व्यक्ति के हित में है जो बयान दे रहा है।

अंबा लाल बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. (1961) एस. सी. 264, पालन किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील सं. 6446/1997

डब्ल्यू. ए. संख्या 329/1996 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.3.96 से।

एस. एस. रे, टी.एस. अरुणाचलम, के. टी. एस. तुलसी, एस. बी. वाड, जिनसेनन, एन. ज्योति, के. के. मणि, के. वी. विश्वनाथन, विकास पाहवा, के. वी. विजयकुमार, एस. एन. भट, मनोज वाड और वी. के. वर्मा, उपस्थित पक्षकारों की और से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया :

अवकाश अनुदत्त की गई।

यह अपील रिट अपील संख्या 329/1996 में 28 मार्च, 1996 के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है।

प्रत्यर्थी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (जिसे इसके बाद एफईआरए कहा जायेगा) की धारा 40ए के तहत अपीलार्थी को निर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए थे। अपनी उपस्थिति के लिए कुछ शर्तें रखने के बाद, अपीलार्थी 15 मई, 1996 को प्रत्यर्थी के सामने पेश हुआ जब उसका बयान दर्ज किया गया था। 9 जुलाई, 1996 और 12 जुलाई, 1996 को भी उनके बयान दर्ज किए गए थे। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें उसे समन जारी करने को चुनौती दी गई और रिट याचिका में संक्षिप्त शिकायत यह थी कि अपीलार्थी को एफईआरए के तहत अपराध के संबंध में लिखित रूप में अपना बयान देने के लिए "मजबूर" नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत चर्चा के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपीलार्थी इस मामले को एक रिट अपील में ले गया। एक विस्तृत आदेश द्वारा रिट अपील को स्वीकार करने के चरण में ही खारिज कर दिया गया। विशेष अनुमति द्वारा, यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के बयान प्रत्यर्थी द्वारा 15 मई, 1996, 9 जुलाई, 1996 और 12 जुलाई, 1996 को दर्ज किए गए हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विवाद नहीं किया और यह सही है कि जिस व्यक्ति को एफईआरए की धारा 40 के तहत समन जारी किया जाता है, उसे लिखित रूप में अपना बयान देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा सकता है और इस तरह का पाठ्यक्रम कानून या संविधान द्वारा निषिद्ध नहीं है। हमारी राय में ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि ऐसा कथन हमेशा

"अनैच्छिक" होता है। अंबा लाल बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर.(1961) एस.सी. 264 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राय दी कि ऐसा पाठ्यक्रम वांछनीय था और कहा कि निर्माता के हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में बयान देना निर्माता के साथ-साथ विभाग के हित की रक्षा करता है और बाद में शिकायत करने की संभावना को समाप्त करता है कि बयान अधिकारियों द्वारा सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था। हालाँकि, हमारे सामने जो आग्रह किया गया है वह यह है कि उसे ऐसा बयान देने के लिए "मजबूर" नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में अपीलार्थी के इस दावे के अलावा कि बयान 'मजबूरी' के तहत 'निकाले गए' हैं, जिसे प्रत्यार्थियों द्वारा तथ्य से इनकार किया गया है, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं रखी गई है जिससे हम अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार 'मजबूरी' के किसी भी तत्व का उपयोग करने का अनुमान लगा सकें।

अपीलार्थी को इस न्यायालय में उन बयानों की प्रतियां दाखिल करने का अवसर देने के बावजूद कि क्या उन बयानों से "मजबूरी" का कोई तत्व दिखाई दे रहा था, उन बयानों की प्रतियों को अपीलार्थी को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए रोक दिया गया है। वास्तव में उन बयानों की प्रतियां विशेष अनुमति याचिका के साथ ही पेश की जानी चाहिए थीं। इसलिए, हमारे लिए यह मान लेना संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को लिखित रूप में अपना बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए किसी भी "मजबूरी" का प्रयोग किया गया था। एफईआरए की धारा 40 के तहत बुलाए गए व्यक्ति को चेतावनी देना कि सच्चा बयान नहीं देना एक अपराध होगा, किसी भी तरह की कल्पना से बयान को "निकालने" के लिए "दबाव" के उपयोग के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस तरह की सावधानी का प्रशासन, जिसे स्वयं एफईआरए. की धारा 40(3) का वैधानिक समर्थन प्राप्त है, उस व्यक्ति के हित में प्रभावी है जो एफईआरए की धारा 40(4) के प्रावधानों को देखते हुए बयान दे रहा है।

इस प्रकार, हमने ऊपर जो कहा है और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इसलिए यह अपील विफल हो जाती है और एतदद्वारा खारिज की जाती है। अंतरिम निर्देश निरस्त हो जायेगा। अपीलार्थी रुपये 5,000 का भुगतान लागत के रूप में करेगा। ।

आर. पी.

अपील खारिज की गई।